UPCH010036182023

न्यायालय–जनपद न्यायाधीश, चित्रकूट ।

उपस्थित– शेष मणि ..... एच0जे0एस0

व्यवहार अपील सं0–65 / 2023

1– श्रीमती सावित्री देवी उम्र 80 वर्ष पत्नी अनन्दी प्रसाद, निवासी मऊ, तहसील मऊ, जिला चित्रकूट। (मृत दौरान वाद)

1 / 1– अमित कुमार तिवारी उम्र 33 वर्ष पुत्र नरेश बहादुर, निवासी मऊ, तहसील मऊ, जिला चित्रकूट।

.....अपीलार्थी / वादी

बनाम

1– रमेंशचन्द्र उम्र 50 वर्ष पुत्र स्व0 अनन्दी प्रसाद, निवासी मऊ, तहसील मऊ, जिला चित्रकूट हाल मुकाम बेलवान, तहसील तख्तपुर, जिला विलासपुर, छत्तीसगढ़।

2– श्रीमती मीना उम्र 60 वर्ष पत्नी कामता प्रसाद, निवासी ब्लाक नम्बर 10 / 187 अटल आवास कवीर नगर टांटीबंध रायपुर छत्तीसगढ़।

3– श्रीमती श्वेता रस्तोगी उम्र 42 वर्ष पत्नी सचिन रस्तोगी, निवासी 161 / 25ए काशीराज नगर कटघर प्रयागराज, तहसील सदर, जिला प्रयागराज।

4– राममिलन उम्र 50 वर्ष पुत्र सोहनलाल,निवासी मऊ, तहसील मऊ, जिला चित्रकूट।

.....प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादीगण

<u>नि र्ण य</u>

1. प्रस्तुत व्यवहार अपील अपीलार्थी / वादी द्वारा विद्वान सिविल जज (सी0डि0), चित्रकूट द्वारा मूलवाद सं0–07 / 2020 श्रीमती सावित्री देवी आदि बनाम रमेंशचन्द्र आदि में पारित एकपक्षीय निर्णय दिनॉकित 03.11.2023 व आज्ञप्ति दिनॉकित 10.11.2023 से क्षुब्ध होकर संस्थित की गयी है।

2. प्रस्तुत अपील को प्रोद्भूत करने वाले तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी / वादी की ओर से मूलवाद सं0–07 / 2020 श्रीमती सावित्री देवी बनाम रमेशचन्द्र आदि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष इस आशय का संस्थित किया गया कि वादिया गाटा सं0–3709 रक्बा 0.040 हे0, गाटा सं0–3539 रक्बा 0.025

हे0, गाटा सं0–3540 रकबा 0.544 हे0, गाटा सं0–3542 रकबा 0.366हे0 कुल चार किता रकबा 0.975 हे0 की सह संक्रमणीय भूमिधर है और मौके पर मालिक काबिज है। प्रतिवादी सं0–1 रमेशचन्द्र वादिया का पुत्र है व प्रतिवादिया सं0–2 श्रीमती मीना पत्नी कामता प्रसाद वादिया की पुत्रबधू है। वादिया का बड़ा पुत्र कामता प्रसाद सन् 2009 में फौत हो गया है। उसकी पत्नी मीना देवी रायपुर में रहती है। वादिया जो कि अत्यन्त ही वृद्ध व रूग्ड़ महिला है जिसे सुनाई व दिखायी नहीं देता है, को उसका पुत्र रमेशचन्द्र व बड़ी बहू श्रीमती मीना ने दिनांक 11 जुलाई 2019 को आंख बनवाने के लिए लिवा ले गये और वादिया से कागजात में निशानी अंगूठा लगवाया लिया। वादिया को गांव में बाला–बाला पता चला कि दिनांक 11 जुलाई 2019 को वादिया का पुत्र व पुत्रबधू ने धोखे से प्रतिवादी सं0– 3 व 4 के पक्ष में विवादित भूमि का बैनामा वादिया से करा लिया है तो वादिया उपनिबंधक कार्यालय मऊ, जिला चित्रकूट में मुआयना कराया और बैनामा की नकल दिनांक 14.08.2019 को प्राप्त की तब वादिया को पूर्णतया ज्ञात हुआ कि वादिया के पुत्र व पुत्रबधू ने बेईमानीपूर्वक वादिया को धोखे में रखकर विवादित भूमि का बैनामा करा दिया जबकि वादिया से विवादित भूमि के बैनामा के संबंध में न कभी बातचीत हुई और न ही कभी कोई लेनदेन हुआ और न ही कभी मौके पर कब्जे का हस्तान्तरण किया गया। प्रतिवादीगण संख्या– 3 व 4 के हक में विवादित भूमि का वादिया के द्वारा किया गया बैनामा अनाधिकृत व शून्य दस्तावेज है जिसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं है। वादिया ने प्रतिवादीगण के हक में कभी कोई बैनामा नहीं लिखा न पंजीकृत कराया बल्कि वादिया के पुत्र व पुत्र बधू प्रतिवादीगण से मिलकर वादिया को धोखे में रखकर तथाकथित दस्तावेज पंजीकृत कराया है जो अवैध शून्य है और निरस्त किये जाने योग्य है।

3. न्यायालय आदेश दिनाकित 06.04.2023 से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसारित की गयी है तथा प्रतिवादीगण की ओर से कोई भी जवाबदावा दाखिल नहीं किया गया है।

4. वादिनी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 9 ग1 से छायाप्रति जोत चकबंदी आकार पत्र 45 कागज सं0–10ग1, प्रमाणित प्रति दस्तावेज बैनामा कागज सं0–11ग1/1 ता 11ग1/14 व सूची 23ग1 से छायाप्रति वसीयतनामा कागज संख्या 24ग1/1 ता 24ग1/10, छायाप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र 25ग1 दाखिल किये गये है तथा वादिया की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में पी0डब्ल्यू0–1 अमित कुमार एवं पी0डब्ल्यू0–2 नरेश बहादुर का साक्षी शपथपत्र दाखिल कराया गया है।

5. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादिनी के तर्को को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्यों का परिशीलन करने के उपरान्त दिनॉक

03.11.2023 व आज्ञप्ति दिनांकित 10.11.2023 को दावा वादीगण एकपक्षीय रूप से खारिज कर दिया गया जिससे क्षुब्ध होकर प्रस्तुत व्यवहार अपील संस्थित की गयी है।

6. अपीलार्थी की ओर से अपील में यह आधार लिए गये हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 03.11.2023 तदनुसार विरचित आज्ञप्ति दिनांक 10.11.2023 कानूनन एवं वाक्यातन अवैधानिक है। प्रश्नगत निर्णय पारित करते समय अपने में निहित क्षेत्राधिकार का पूर्णरूपेण दुरूपयोग किया है और प्रश्नगत निर्णय पारित करने में और दावा खारिज करने में बहुत बड़ी कानूनी भूल की है जिससे प्रश्नगत निर्णय व आज्ञप्ति कतई स्थिर रहने योग्य नहीं है। न्यायालय ने सावित्री देवी द्वारा अपीलकर्ता अमित कुमार तिवारी के हक में अपने जीवनकाल में दिनांक 26.11.2019 को वसीयतनामा तहरीर कराकर पंजीकृत कराया है तथा अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है जिसके आधार पर न्यायालय ने मृतक वादिया श्रीमती सावित्री देवी के स्थान पर पक्षकार बनाने का आदेश किया है परन्तु प्रश्नगत निर्णय दिनांक 03.11.2023 में विद्वान विचारण न्यायालय का यह कहना कि वसीयतनामा प्रमाणित नहीं करायी गयी जबकि वसीयतनामा का उक्त मुकदमें के निर्णय पारित करने में कोई अर्थ नहीं रखता है। वाद पत्र में तथा उसके समर्थन में दिये गये साक्षी शपथपत्र की कोई विवेचना प्रश्नगत निर्णय दिनांक 03.11.2023 में न करके बहुत बड़ी कानूनी भूल की है जिससे भी प्रश्नगत निर्णय व आज्ञप्ति अपास्त किये जाने योग्य है। कथित विक्रीत भूमि के बावत प्रतिफल के रूप में कोई धनराशि मृतक सावित्री देवी को नहीं दी गयी। प्रश्नगत दस्तावेज बैनामा जिसका पंजीकरण 15.07.2019 को होना कहा गया है। उल्लिखित चेक नम्बरों के आधार पर कोई भी धनराशि आहरित नहीं है जिसके बावत मृतक वादिया ने अपने वाद पत्र में उल्लिखित किया है और बिना प्रतिफल के कथित बैनामा शून्य है। विद्वान अवर न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु की भी प्रश्नगत निर्णय दिनांक 03.11.2023 में कोई विवेचना न करके बहुत बड़ी कानूनी भूल की है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् रूप से परिशीलन न करके सरसरी तौर पर दावा वादिया खारिज करने में बहुत बडी कानूनी भूल की है और वाद पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र जिसमें धोखाधडी का उल्लेख किया गया है जिसके विरूद्ध प्रतिवादीगण/उत्तरदातागण द्वारा कोई प्रति शपथ पत्र दाखिल नहीं है जिसके संबंध में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा कोई विवेचना न करके बहुत बड़ी कानूनी भूल की है। मृतक वादिया सावित्री देवी की उम्र के आधार पर उसे धोखे में रखकर बिना कोई जानकारी दिये उत्तरदातागण के प्रभाव में रजिस्ट्रीकर्ता आफीसर द्वारा दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण किया जाना कानूनन वैध नहीं कहा जा सकता है और

उसके आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय ने वैध मानकर प्रश्नगत निर्णय पारित कर वाद को निरस्त करने में बड़ी कानूनी भूल की है। विवादित भूमि का कोई सरकारी बटवारा नहीं है और सह काश्तकारी की भूमि होने के कारण उत्तरदातागण का जबरन अवैधानिक ताकत के बल पर कब्जा करना कानूनन गलत है जिसको निषेधित किये जाने के बावत भी विद्वान अवर न्यायालय ने गलत व अवैधानिक तरीके से प्रश्नगत निर्णय में विधिक विवेचना न करके बहुत बड़ी कानूनी भूल की है। विवादित भूमि वेश कीमती ब्यवसायिक व आवासीय भूमि है जिससे सरकारी मूल्यांकन को दरकिनार कर कम कीमत में खरीदी गयी है जबकि पूर्व में मृतक वादिया सावित्री देवी से क्रय विक्रय हेतु कोई चर्चा नहीं की गयी और विक्रय पत्र मृतक सावित्री देवी के बिना जानकारी दिये तहरीर कराकर पंजीकृत कराया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को अनदेखा करते हुए आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है तथा अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत व्यवहार अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. प्रत्यर्थीगण की ओर से अपील में कोई लिखित आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है और न ही कोई उपस्थित हुआ।

8. मैने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अवधेश प्रसाद मिश्रा का यह तर्क है कि वादिनी द्वारा मूलवाद सं0—07/2020 मूलतः दस्तावेज बैनामा दिनांकित 11.07.2019 के मंसूखी व शाश्वत व्यादेश हेतु संस्थित किया गया था। प्रश्नगत मूल गाटा सं0—3709 रकवा 0.040 हे0, 3539 रकवा 0.025हे0, 3540 रकवा 0.544हे0 व 3542 रकवा 0.366हे0 के 1/4 अंश की स्वामिनी वादिनी सावित्री देवी है। उन्हें धोखे में रखकर दिनांक 11.07.2019 को बैनामा निष्पादित कराया गया तथा प्रतिफल का भुगतान जरिये चेक दिनांक 11.07.2019 को किये जाने के तथ्य का उल्लेख किया गया है। चेक में उल्लिखित धनराशि कभी भी विक्रेता श्रीमती सावित्री देवी को प्राप्त नहीं हुई है इससे यह परिलक्षित होता है कि दस्तावेज बैनामा दिनांकित 11.07.2019 एक शून्य दस्तावेज है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिफल के भुगतान किये जाने के बिन्दु पर कोई कथन नहीं किया गया है जबकि दस्तावेज बैनामा का मूल अभिलेख मूलतः अदायगी का भी है।

10. प्रस्तुत अपील के अवधारणार्थ निम्नलिखित बिन्दु प्रोद्भूत होते हैं —

1. क्या दस्तावेज बैनामा दिनॉक 11.07.2019 फ्राड व कपट के आधार पर

निष्पादित कराया गया है?

2. क्या दस्तावेज बैनामा दिनॉकित 11.07.2019 में उल्लिखित प्रतिफल की धनराशि केतागण को प्राप्त नहीं हुई, यदि हॉ तो इसका प्रभाव?

3. क्या वादिनी वादग्रस्त भूमि के संबंध में शाश्वत व्यादेश का उपचार प्राप्त करने के अधिकारी है?

11. <u>अवधार्य बिन्दु सं0– 1 व 2</u>

वादिनी का यह कथन है कि आराजी गाटा संख्या– 3709 रकवा 0.040 हे0, गाटा सं0– 3539 रकवा 0.025हे0, गाटा सं0–3540 रकवा 0.544हे0 व गाटा संख्या– 3542 रकवा 0.366हे0 कुल चार किता रकवा 0.925हे0 भूमि की संक्रमणीय भूमिधर मालिक काबिज दखील है। प्रतिवादी सं0–1 रमेशचन्द्र वादिया का पुत्र है व प्रतिवादिया सं0–2 श्रीमती मीना वादिया की पुत्रबधू है। वादिनी सावित्री देवी जो अत्यन्त वृद्ध थी, उसका पुत्र रमेशचन्द्र व उसकी पुत्रबधू श्रीमती मीना ने 11 जुलाई 2019 को ऑख बनवाने के लिए ले गये और वादिया से कागज पर निशानी ॲगूठा लगवा लिया, बाद में वादिनी को यह ज्ञात हुआ कि उसके पुत्र व पुत्रबधू ने धोखे में रखकर प्रतिवादीगण सं0– 3 व 4 के पक्ष में बैनामा करवा दिया है। वादग्रस्त भूमि के बैनामा के संबंध में न कभी उसकी कोई बातचीत हुई, न लेनदेन हुआ और न ही कब्जे का हस्तान्तरण हुआ।

12. वादिनी की तरफ से कागज संख्या– 10ग जोत चकबन्दी आकारपत्र 45 प्रस्तुत किया गया है जिसके अवलोकन से यह विदित होता है कि गाटा संख्या–3709, 3539, 3540 व 3542 पर कामता प्रसाद, नरेश बहादुर व रमेशचन्द्र पुत्रगण अनन्दी प्रसाद व सावित्री देवी पत्नी अनन्दी का नाम दर्ज है। वादपत्र के प्रस्तर 3 में दिये गये सजरा खानदान के अनुसार अनन्दी प्रसाद के तीन पुत्र क्रमशः कामता प्रसाद, नरेश बहादुर व रमेशचन्द्र हुए। कामता प्रसाद की मृत्यु हो चुकी है जिसकी पत्नी मीना देवी प्रतिवादी सं0–2 व रमेशचन्द्र प्रतिवादी सं0–1 हैं। सावित्री देवी अनन्दी प्रसाद की पत्नी है। दस्तावेज बैनामा की प्रमाणित छायाप्रति कागज संख्या– 11ग1/1 लगायत 11ग1/13 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त बैनामा रमेशचन्द्र, सावित्री देवी पत्नी अनन्दी प्रसाद व मीना देवी पत्नी कामता प्रसाद के द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में मु0 7,50,000/–रूपये प्रतिफल में प्रतिवादी सं0– 3 व 4 श्रीमती श्वेता रस्तोगी व राममिलन के पक्ष में दिनॉक 11.07.2019 को निष्पादित किया गया। दस्तावेज बैनामा में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि कुल रूपये मु0 7,50,000/–रू0 जरिये चेक केनरा बैंक शाखा जीरो रोड इलाहाबाद के चेक नं0– 572659 के द्वारा मु0 5,00000/–रू0 व भारतीय स्टेट बैंक शाखा मऊ के चेक नं0– 248274 के द्वारा मु0 2,50,000/–रू0

दिनॉक 11.07.2019 को प्राप्त कर लिया है। दस्तावेज बैनामा दिनॉकित 11.07.2019 एक पंजीकृत विलेख है इसलिए इसकी सत्यता की उपधारणा तब तक की जायेगी जब तक इसे अन्यथा साबित न कर दिया जाये। निःसंदेह दस्तावेज बैनामा को अन्यथा साबित करने का भार वादिनी पर है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 101 लगायत 103 (नई धारा 104 लगायत 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) के अनुसार साबित करने का भार उस पक्ष पर होता है जो किसी तथ्य का प्रख्यापन करता है। वादिनी के द्वारा यह कहा गया है कि दस्तावेज बैनामा उसे धोखे में रखकर बिना कोई प्रतिफल दिये कपट से निष्पादित कराया गया है। बैनामा की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दस्तावेज बैनामा सावित्री देवी के द्वारा व उसके सहखातेदार पुत्र रमेशचन्द्र व उसकी पुत्रबधू मीना द्वारा निष्पादित किया गया है। जोत चकबन्दी आकारपत्र से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जिस भूमि का बैनामा किया गया है उसमें सावित्री देवी का मात्र 1/4 अंश था, अन्य दो विक्रेतागण के 1/4–1/4 अर्थात कुल 2/4 अंश था अर्थात कुल 3/4 अंश का बैनामा किया गया। प्रतिवादी सं0– 1 व 2 द्वारा दस्तावेज बैनामा के निष्पादन को चुनौती नहीं दी गयी है और न ही न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उन्होने यह कथन किया कि दस्तावेज बैनामा में उल्लिखित प्रतिफल की धनराशि उन्हें प्राप्त नहीं हुई है।

13. धारा 60 रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 प्रावधानित करती है कि (1) धारा 34, 35, 58 एवं 59 के उपबंधों में से उन उपबंधों का, जो रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित की गयी किसी दस्तावेज को लागू है, अनुपालन हो जाने के पश्चात रजिस्ट्रीकर्ता आफीसर ऐसा प्रमाणपत्र, जिसमें रजिस्ट्रीकृत शब्द अन्तर्विष्ट हो उस पुस्तक के संख्यांक और पृष्ठ के सहित, जिसमें उस दस्तावेज की नकल की गयी है, उस पर पृष्ठांकित करेगा।

(2) ऐसा प्रमाणपत्र रजिस्ट्रीकर्ता आफीसर द्वारा हस्ताक्षरित, मुद्रांकित और दिनॉकित कियाजायेगा और तब वह यह साबित करने के प्रयोजन के लिए ग्राह्य होगा कि वह दस्तावेज इस अधिनियम द्वारा उपबंधित रीति से सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत की गयी है और धारा 59 में निर्दिष्ट पृष्ठांकनों में वर्णित तथ्य वैसे ही घटित हुए हैं जैसे उसमें वर्णित हैं।

14. वादी की तरफ से साक्ष्य में साक्षी पी0डब्लू0–1 अमित कुमार तिवारी ने स्वयं का शपथपत्र कागज सं0–26क व उसके पिता नरेश बहादुर साक्षी पी0डब्लू0–2 का शपथपत्र 27क प्रस्तुत किया गया है। यह नरेश बहादुर पी0डब्लू0–2 वही व्यक्ति है जिसके पुत्र अमित कुमार कुमार ने दिनॉक 26.11.2019 को अपने पक्ष में सावित्री द्वारा निष्पादित किया गया वसीयतनामा के आधार पर प्रस्तुत वाद में

प्रतिस्थापित हुआ है। निःसंदेह नरेश बहादुर व अमित कुमार तिवारी हितबद्ध व्यक्ति हैं। प्रस्तुत मामले में दस्तावेज बैनामा के हॉशिया गवाहान को परीक्षित नहीं कराया गया है। दस्तावेज बैनामा के निष्पादन के समय सावित्री देवी स्वयं सबरजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित हुई, सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के उपरान्त दस्तावेज बैनामा दिनॉकित 11.07.2019 का पंजीयन हुआ है। सबरजिस्ट्रार द्वारा शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में दस्तावेज बैनामा के पंजीयन की कार्यवाही सम्पन्न हुई है।

15. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **शान्ती देवी बनाम जगन देवी 2025 आईएनएससी 1105 एवं केवल कृष्ण बनाम राजेश कुमार (2022) 18 एससीसी 489** के प्रकरण में यह निर्णयज विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि यदि प्रतिफल की अदायगी नहीं हुई है तो दस्तावेज बैनामा शून्य होगा। प्रस्तुत प्रकरण में दस्तावेज बैनामा में जरिये चेक भुगतान किये जाने का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। वादिनी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि दस्तावेज बैनामा में उल्लिखित चेक किसके पक्ष में निष्पादित हुआ था। उक्त चेक बैंक में प्रस्तुत किया गया, चेक द्वारा भुगतान नहीं हुआ, इस आशय का कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में जरिये कैश भुगतान का कोई कथन न तो दस्तावेज बैनामा में है और न ही वादपत्र में है। जरिये चेक भुगतान न होने के संबंध में कोई भी प्रलेख पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराया गया है।

16. अमीन रिपोर्ट कागज संख्या– 17ग में इस तथ्य का उल्लेख है कि चेक अपने नाम रमेशचन्द्र व मीना देवी द्वारा जारी करा लिया गया है। रमेश चन्द्र वादिनी का ही पुत्र है तथा मीना देवी वादिनी की पुत्रबधू है। यदि सम्पूर्ण प्रतिफल की धनराशि रमेश चन्द्र व मीना देवी द्वारा जरिये चेक प्राप्त की गयी तो इस संबंध में अपने अंश के प्रतिफल की वसूली की कार्यवाही वादिनी को रमेशचन्द्र व मीना देवी के विरूद्ध करना चाहिए, न कि इस आधार पर दस्तावेज बैनामा शून्य हो जायेगा।

17. वादिनी यह तथ्य साबित करने में पूर्णतया विफल रही है कि दस्तावेज बैनामा उसे धोखा व कपट में रखकर निष्पादित कराया गया तथा प्रतिफल का भुगतान नहीं हुआ। तद्नुसार अवधार्य बिन्दु सं0– 1 व 2 निस्तारित किये जाते हैं।

18. <u>अवधार्य बिन्दु सं0–3</u>

वादिनी की तरफ से वादग्रस्त भूमि के 3/4 अंश के संबंध में शाश्वत व्यादेश के उपचार की याचना की गयी है जबकि सजरा खानदान व जोत चकबन्दी आकारपत्र से यह प्रमाणित है कि वादिनी का वादग्रस्त भूमि में मात्र 1/4 अंश था, न कि 3/4 अंश। दस्तावेज बैनामा दिनॉकित 11.07.2019 के द्वारा स्वत्व व कब्जा

का अन्तरण हो जाने के उपरान्त वादिनी वादग्रस्त भूमि की स्वामिनी नहीं रही, ऐसी स्थिति में वह शाश्वत व्यादेश का उपचार प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है।

19. उपरोक्त संप्रेक्षण के उपरान्त इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनॉकित 03.11.2023 व आज्ञप्ति दिनॉकित 10.11.2023 को पारित करने में कोई तथ्यात्मक व विधिक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। तद्नुसार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनॉकित 03.11.2023 व आज्ञप्ति दिनॉकित 10.11.2023 पुष्ट किये जाने योग्य है एवं प्रस्तुत व्यवहार अपील खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत **व्यवहार अपील सं0–65/2023 श्रीमती सावित्री देवी बनाम रमेश चन्द्र व अन्य** एतदद्वारा खारिज की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनॉकित 03.11.2023 व आज्ञप्ति दिनॉकित 10.11.2023 की पुष्टि की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति सहित अविलम्ब वापस भेजा जाये।

(शेष मणि)
जनपद न्यायाधीश,
चित्रकूट।
जे0ओ0कोड–यू0पी05751

दिनॉक–18.03.2026

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनॉकित कर उद्घोषित किया गया।

(शेष मणि)
जनपद न्यायाधीश,
चित्रकूट।
जे0ओ0कोड–यू0पी05751

दिनॉक–18.03.2026